प्रियंका को एक फीसद भी चुनौती नहीं मानती भाजपा, कांग्रेस ने भी किया पलटवार

लखनऊ/नई दिल्ली/मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा ने कहा कि प्रियंका एक फीसद भी चुनौती नहीं हैं। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का फैसला दर्शाता है कि वह अब भी परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इस पर पलटवार में कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की प्रतिक्रिया उसकी निराशा को दिखाता है।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा, 'कौन पार्टी किसे क्या दायित्व देती है, यह उस पार्टी का आंतरिक विषय है। उस पर हमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है। यह सही है कि कांग्रेस अब भी परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रही है।' उन्होंने कहा, 'प्रियंका एक प्रतिशत भी चुनौती नहीं हैं।' उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जनता से पूर्णतः संपर्क खो चुकी पार्टी है। उसके पास लोग नहीं हैं। ऐसे में प्रियंका आएं भी तो क्या चमक पैदा करेंगी।

प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के फैसले पर पाण्डेय ने कहा, 'मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि प्रियंका जिन सीटों का प्रचार करने आती थीं, वहां अपने को संभालें । हम दोनों सीटें (रायबरेली और अमेठी) कांग्रेस से छीनने की पूरी रणनीति बना चुके हैं।'

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रियंका वाड्रा को जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह दर्शाता है कि गांधी परिवार में राहुल पर निर्भरता समाप्त हो चुकी है। सिंह ने प्रियंका को बधाई देते हुए कहा कि हम प्रियंका को उनके रायबरेली के प्रबंधन से आंक सकते हैं, जहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ।

प्रियंका के सक्रिय राजनीति में प्रवेश को भाजपा द्वारा राहुल गांधी की विफलता की स्वीकारोक्ति करार दिए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि प्रियंका का नाम पार्टी महासचिव के रूप में सामने आने से सत्तारूढ़ पार्टी घबरा गई है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने यह भी दावा किया कि प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नई जान आ जाएगी। शुक्ला ने कहा, 'राहुल जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इसका भारतीय राजनीति में बड़ा असर होगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे।' भाजपा के हमले पर शुक्ला ने कहा, 'ये लोग प्रियंका जी के सक्रिय राजनीति में आने से घबराए हुए हैं। ये सब घबराहट में बोल रहे हैं।'

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रस्तावित महागठबंधन में विभिन्न दलों से खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने पारिवारिक गठबंधन को अपनाया है। जनता दल (एकी)के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी वाड्रा की पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस महासचिव के तौर पर नियुक्ति को भारतीय राजनीति में बहुप्रतीक्षित पदार्पणों में से एक बताया है।

उधर, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने प्रियंका के राजनीति में औपचारिक पदार्पण की बुधवार को यह कहते हुए सराहना की कि कांग्रेस महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए शुभ संकेत है।

पति वाड्रा ने दी प्रियंका को बधाई, कहा- हमेशा आपके साथ हूं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में कदम रखने की घोषणा के बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि जिंदगी के हर मोड़ पर वह अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'बधाई पी (प्रियंका)। जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हूं। अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करिए।'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का बुधवार को उस वक्त सक्रिय राजनीति में पदार्पण हो गया, जब उन्हें पार्टी महासचिव बनाते हुए उत्तर प्रदेश–पूर्व की जिम्मेदारी सौंपी गई।

प्रियंका की नियुक्ति वंशवाद की राजनीति : निर्मला

चेन्नई, 23 जनवरी (भाषा)।

प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव नियुक्त किए जाने पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह ऐसा कदम है जो वंशवाद की राजनीति को आगे बढाता है।

यूनिटेक के प्रवर्तकों को जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदारों का धन हड़पने के मामले में यूनिटेक के प्रवर्तकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत पर रिहा करने से बुधवार को इनकार कर दिया। ये दोनों पिछले करीब डेढ़ साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के पीठ ने दोनों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपए जमा कराने के उसके 30 अक्तूबर, 2017 के आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया है।

संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने जमानत पर रिहाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल किया है और चार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करा दी है। शीर्ष अदालत ने 30 अक्तूबर, 2017 को अपने आदेश में कहा था कि यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को न्यायालय की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद ही जमानत दी जाएगी।

न्यायालय ने जेल प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि चंद्रा को अपनी कंपनी के अधिकारियों और वकीलों से मुलाकात की सुविधा प्रदान की जाए ताकि वह मकान खरीदारों का धन लौटाने और निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन का बंदोबस्त कर सकें।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल में मुलाकात नियमों के अनुसार सामान्य मुलाकाती घंटों के दौरान ही होनी चाहिए और चंद्रा के वकील भी उनसे मिलने के लिए वहां जा सकते हैं।

शीर्ष अदालत को बताया गया था कि मकान खरीदारों को लौटाई जाने वाली रकम दो हजार करोड़ रुपए तक हो सकती है जबकि कुछ खरीदार फ्लैट का कब्जा चाहते हैं। इस मामले में न्याय मित्र ने न्यायालय को बताया था कि करीब 16,000 मकान खरीदारों में से 9390 ने इस मसले पर उन्हें जवाब दिया कि वे बिल्डर से अपना पैसा वापस चाहते हैं या फिर फ्लैट पर कब्जा चाहते हैं। इन दोनों प्रवर्तकों के खिलाफ यूनिटेक की गुरुग्राम में 'वाइल्ड फ्लावर कंट्री' और 'एंथिया प्रोजेक्ट' के 158 मकान खरीदारों ने 2015 में आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

नरोदा पाटिया मामले में चार दोषियों की जमानत मंजूर

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में चार दोषियों की जमानत मंजूर कर ली है।

राज्य में 2002 में दंगों के दौरान हुए इस नरसंहार में 97 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाले पीठ ने चार दोषियों उमेशभाई सुराभाई भारवाड़, राजकुमार, पद्मेंद्रसिंह जसवंतसिंह राजपूत और हर्षद उर्फ मुंगडा जिला गोविंद छाड़ा परमार की जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली।

नरसंहार की यह घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में हुए अग्निकांड के एक दिन बाद की है।

इस घटना में अमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी थी।

गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल 20 अप्रैल को इस मामले के 29 आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया था और भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोदनानी सहित 17 अन्य को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सभी 29 आरोपियों को दोषी ठहराया था।

M.I.T.R.A. AGRO EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
Reg off: 5 Court Lane, Sehgal Colony Civil Lines Delhi 110054
CIN: U29253DL2012PTC234388 / Email: ceo@mitraweb.in / Tel: 02536649132

Form No. INC-26
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR
NORTHERN REGION, NEW DELHI

In the matter of sub-section (4) of section 13 of the Companies Act, 2013, and clause (a) of sub-rule 5 of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.
And
In the matter of M.I.T.R.A. Agro Equipments Private Limited, having its registered office at 5 Court Lane, Sehgal Colony Civil Lines Delhi110054, Petitioner.

NOTICE

Notice is hereby given to the general public that the Company proposes to make application to the Regional Director, Northern Region, New Delhi, under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the memorandum of association of the Company in terms of the special resolution passed at the extra ordinary general meeting held on December 19, 2018 to enable the Company to change its registered office from the 'National Capital Territory (NCT) of Delhi' to the 'State of Maharashtra'.

Any person, whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003, within 14 (fourteen) days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered office situated at 5 Court Lane, Sehgal Colony Civil Lines Delhi 110054.

For and on behalf of **M.I.T.R.A. Agro Equipments Private Limited**
Mohit Malhotra
Chief Executive Officer and Director
PAN: AUHPM5819J
DIN: 07821899

Date: January 23, 2019
Place: Pune

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
एसआरएस रीअल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एसआरएस रीअल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	26.6.1990
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L65910HR1990PLC040431
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एसआरएस मल्टीप्लेक्स, ऊपरी मंजिल सिटी सेन्टर, सेक्टर–12, फरीदाबाद, फरीदाबाद एचआर 121007 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	21.1.2019 (माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ के आदेश तिथि 21.1.2019 के अनुसार)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	20.7.2019 जो दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन है।
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	संदीप चांदना IBBI/IPA-002/IP-00447/2017-2018/11237
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	संदीप चांदना, # 23, भू तल, ए–ब्लॉक, साउथसिटी– 2, सेक्टर– 49, सोहना रोड, गुड़गांव– 122018/ cssandeep@live.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	संदीप चांदना, # 23, भू तल, ए–ब्लॉक, साउथसिटी– 2, सेक्टर– 49, सोहना रोड, गुड़गांव– 122018/ cirp.srsreal-infra@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	4.2.2019 (एडमिशन की तिथि से चौदह दिन है)
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्गों का नामः रीअल इस्टेट बायर्स
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. श्री श्याम अरोड़ा 2. श्री ज्ञानेश्वर सहाय 3. श्री अरविन्द कुमार जैन
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) वेबलिंकः https:// ibbi.gov.in/ download-form.html (ख) 1. श्री श्याम अरोड़ा, 96, अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनन्दा, नई दिल्ली–19 IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-2018/11703 arora.shyam@yahoo.com 2. श्री ज्ञानेश्वर सहाई, ए–1404, द रिजॉर्ट, सेक्टर–75, फरीदाबाद–121004 IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-2018/10546 gyaneshwar.sahai.@gmail.com 3. श्री अरविन्द कुमार जैन, ओडी–14, एफएफ, मालीबू टाउन, सोहना रोड, गुरुग्राम–122018 IBBI/IPA-002/IP-N00543/2017-2018/11680 csarvindjain@gmail.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 21.1.2019 को एसआरएस रीअल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा एसआरएस रीअल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 4.2.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग रीअल इस्टेट बायर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 21.1.2019
स्थानः गुरुग्राम

संदीप चांदना
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
IBBI/IPA-002/IP-00447/2017-2018/11237

विजया बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
एमएसएमई, बल्लभगढ़
143, मोहना रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद जिला, हरियाणा–121004,
ईमेलः vb8305@vijayabank.co.in
फोनः 0129–2241290 www.vijayabank.com

कब्जा सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विजया बैंक, बल्लभगढ़ शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.11.2018 जारी कर ऋणधारक 1) मै. श्री गौकरण ट्रेडिंग क., प्रतिनिधित्व द्वारा प्रॉप्राईटर श्री अंशुल गुप्ता, पुत्र श्री सुरेश गुप्ता, शॉप नं. 120/3, पुरानी सब्जी मंडी, अग्रसेन चौक, बल्लभगढ़, 2) श्री अंशुल गुप्ता, पुत्र श्री सुरेश गुप्ता एच. नं. 168, वार्ड नं.–3, पंजाबी मोहल्ला, बल्लभगढ़–121004, गारन्टरों: 3) श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री मुसद्दी लाल, निवासीः एच. नं. 168, वार्ड नं.–3, पंजाबी मोहल्ला, बल्लभगढ़–121004, 4) श्री सौरभ तायल, पुत्र श्री हरि शंकर तायल, एच. न. डी–644, गुरुद्वारा के पीछे, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़ को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,12,88,901.24 (रुपये एक करोड़ बारह लाख अठासी हजार नौ सौ एक एवं पैसे चौबीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 16 जनवरी, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.12.2018 को रु.1,14,77,226.24 (रुपये एक करोड़ चौदह लाख सतहत्तर हजार दो सौ छब्बीस एवं पैसे चौबीस मात्र) तथा 1.1.2019 से उस पर ब्याज की राशि के लिये विजया बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री मुसद्दी लाल के नाम में नं. 120/24ए, निकट पुलिस पोस्ट/अग्रसेन चौक, मिल्क प्लान्ट रोड, वार्ड नं.–3, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित सम्पत्ति माप 47.0 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः
उत्तरः सड़क — **पूर्वः** विनोद कुमार की सम्पत्ति
दक्षिणः स्वयं की और अधिक सम्पत्ति — **पश्चिमः** श्री मदन पुत्र श्री तोता राम की सम्पत्ति।

तिथिः 16.1.2019, **स्थानः बल्लभगढ़** **प्राधिकृत अधिकारी (विजया बैंक)**

PTC India Ltd.
PTC India
Regd. Office : 2nd Floor, NBCC Tower,
15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
(CIN : L40105DL1999PLC099328)
Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 6th day of February 2019 inter-alia, to consider and approve the un-audited financial results for the quarter ended December 31, 2018 amongst other items mentioned in the agenda.

By order of the Board
For **PTC India Ltd.**
Sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
FCS-4998

Place: New Delhi
Date: 23/01/2019

Note:- Futher details on the matters above said may be accessed at the link of the Company's website http://www.ptcindia.com ,('Notice to Exchanges' in Statutory Information) and Stock Exchange website i.e.NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com.

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (पूर्व)–II
ई–ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली–110092
प्रैस एनआईटी सं. 50/ ई–II (18–19)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क	धरोहर राशि	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	पूर्व–II के अंतर्गत एसी–62 में वार्ड नं. 28 ई तथा 29 ई में जलापूर्ति में सुधार के लिये उच्च क्षमता के ट्यूब वेल्स का संस्थापन।	4041584/–	500.00	81000/–	2018_DJB_ 166242_2, 19 जन. 19, 9.00 बजे पूर्वा.	5 फर. 19 2 बजे अप.
2.	पूर्व–II के अंतर्गत एसी–62 में बिहारी कॉलोनी स्टोर, झिलमिल स्टोर तथा ब्लॉक–बी, विवेक विहार फेज–II में उच्च क्षमता के ट्यूब वेल्स का बोरिंग एवं संस्थापन।	4520738/–	500.00	91000/–	2018_DJB_ 166242_3, 19 जन. 19, 9.00 बजे पूर्वा.	5 फर. 19 2 बजे अप.
3.	पूर्व–II में एसी–59 में वार्ड नं. 17 ई तथा 18 ई में उच्च क्षमता के ट्यूब वेल्स का जलापूर्ति में सुधार के लिये संस्थापन।	4162673/–	500.00	84000/–	2018_DJB_ 166242_4, 19 जन. 19, 9.00 बजे पूर्वा.	5 फर. 19 2 बजे अप.

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.govt.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — **हस्ता./–**
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2018–19/706 — **कार्यपालक अभियंता (पूर्व)–II**

AMRIT AGRO INDUSTRIES LIMITED
CIN: U01111UP1985PLC010776
Regd. Office: CM-28, Ist Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad - 201009 (U.P.)
Telephone No. 0120-2866880, Fax No. 0120-2866884
E-mail: info@amritagro.com, Website: www.amritagro.com

Notice is hereby given that following share certificate(s) issued by the Company are stated to be lost/misplaced/stolen and the registered holder(s)/legal heir(s) thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s):

Folio No.	Name of the Shareholder(s)	Share Certificate No.(s)	Distinctive No.(s)	No. of Shares
771	Ram Krishan Goel	12650	1514094-1514193	100
788	Santosh	2276-2278 12652	226501-226800 1514294-1514393	400
3311	Devinder Pal Sood Urmil Sood	9180-9184	1168709-1169208	500

The Public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificate(s). Any person(s) who has/have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim(s) at its Registered Office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will not be responsible for any loss and the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

For **Amrit Agro Industries Limited**
Sd/-
(Sanjay Kumar Das)
Company Secretary

Ghaziabad (UP)
January 23, 2019

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
पीतमपुरा शाखा, वर्धमान चार्व प्लाज़ा, प्लॉट नं. 22, के.पी. ब्लॉक, सामुदायिक भवन, पीतमपुरा, नई दिल्ली,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस

09.11.2018 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित :
कर्जदार :
1. मैसर्स सुपरफाइन कलेक्शन, 1712 गली तखत वाली सुईवालां दरियागंज नई दिल्ली–110002
2. श्री मयंक जैन, पताः 78 – ए दिलशाद गार्डन, दिल्ली – 110095, 15 प्रथम तल मानक विहार, दिल्ली–110027
3. श्री मोहम्मद जाकिर, मकान नं. 1708 गली तखत वाली, सुईवालां, दिल्ली – 110006

गारंटर्सः
1. प्रीति जैन पताः 78–ए दिलशाद गार्डन, दिल्ली – 110095, 15 प्रथम तल, मानक विहार दिल्ली – 110027

विषयः कार्पोरेशन बैंक, पीतमपुरा शाखा, का ऋण खाता नं. CVPOD/01/160002 (नया खाता नं. 560361000077163

उधारकर्ता (क्रमांक 1) ने दिनांक 31.12.2018 तक बकाया राशि रू. **213.69** लाख (रु. दो करोड तेरह लाख उनहत्तर हजार मात्र) तथा 01.01.2019 से भुगतान की तिथि तक व इससे आगें सहमत दर पर ब्याज, चुकाने में चूक की है। उसके/उनके द्वारा प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधाएं दिनांक 26.12.2018 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा चुकी हैं। बैंक ने दिनांक 09.11.2018 को अधिनियम के तहत सूचना जारी की है, जिसमें उनसे 31.12.2018 तक बकाया राशि रू. **213.69** लाख चुकाने की मांग की गई है। यह सूचना पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई थी।

उधारकर्ताओं तथा गारंटरों से रू. **213.69** लाख की राशि, दिनांक 01.01.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित, इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, बैंक यहां नीचे तालिका में दी गई प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित प्रवर्तन के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के निबन्धनों में आप यह सूचना प्राप्त होने के बाद, बैंक की पूर्व सहमति के बिना, उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

अनुसूची

जिन आस्तियों में प्रतिभूति हित सृजित किया गया है, उनका विशिष्ट विवरण यहां नीचे दिया गया है।

बंधक आस्तियां :
बंधक सम्पत्ति खसरा नं. 410, सम्पत्ति नं. 27, ओल्ड प्लॉट नं. 3, गाँव झिलमिल ताहिरपुर, ब्लॉक नं. 6, दिलशाद गार्डन, जी टी रोड, दिल्ली मे स्थित
दृष्टिबंधक आस्तियां :
स्टॉक और बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक

दिनांक : 23.01.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
फोनः 28524421, फैक्सः 011–28521871, ई–मेलः ambdl@nic.in
निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिए मद दर ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्रम. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत एवं धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी. सं
1	न्यू फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट गाजीपुर में बिजली के पैनलों के दरवाजों/ कवरों की आपूर्ति, निर्माण, पेंटिंग और फिक्सिंग हेतु	5,33,240/– 10,665/–	28.01.19 at 14.30 Hrs.	2019_DAMB_165987_1
2	फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट गाजीपुर में 03 नंबर बिल्डिंग ब्लॉक 10 से 12 फेज–3 के बाहरी विद्युतीकरण के लिए 16 मीटर हाई मास्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण हेतु	47,63,024/– 95,260/–	01.02.19 at 14.30 Hrs.	2019_DAMB_166226_1

निविदा के अन्य सभी विवरण वेबसाइटः– **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।
हस्ता./–
DIP/ Shabdarth/2807/18-19 — **अधिशासी अभियंता (वि)**
डी.ऐ.एम.बी.

SORIL
INFRA RESOURCES
सोरिल इन्फ्रा रिर्सोसेज़ लिमिटेड
(CIN: L52190HR2005PLC077960)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं.448-451, उद्योग विहार, फेज़-V, गुरुग्राम-122016, हरियाणा
फोनः 0124 6681199 फैक्सः 0124 6681111 ई-मेलः helpdesk@indiabulls.com
वेबसाईटः www.sorilinfraresources.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिसंबर 31, 2018 को समाप्त हुई तिमाही और नौमाही के लिए, **सोरिल इन्फ्रा रिर्सोसेज़ लिमिटेड** (कंपनी) के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, जनवरी 29, 2019 को आयोजित की जाएगी।

कृपया अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाईट (www.sorilinfraresources.com) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) या बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर संपर्क करें।

कृते **सोरिल इन्फ्रा रिर्सोसेज़ लिमिटेड**
सही/-
विकास खंडेलवाल
कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : जनवरी 23, 2019

एन एच पी सी लिमिटेड
NHPC
(भारत सरकार का उद्यम)
(CIN: L40101HR1975GOI032564)
पंजी.कार्या.: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
ई–मेलः companysecretary@nhpc.nic.in
टेलीफैक्स : 0129-2278018,
वेबसाइट www.nhpcindia.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यतायें और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019** को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ **31 दिसंबर, 2018** को समाप्त तिमाही के लिये गैर–अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकार्ड में लिया जायेगा।

उपरोक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइटः **www.nhpcindia.com** और शेयर बाजारों की वेबसाइटः **www.nseindia.com** और **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यवहार के लिए इन्साइडर्स ट्रेडिंग विंडो **शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019** से **रविवार, 10 फरवरी, 2019** तक **(दोनों दिवस शामिल)** बंद रहेगी।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से
हस्ता/-
(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
दिनांकः 21.01.2019

कार्पोरेशन बैंक **कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति के लिए)
[Rule - 8(1)]
आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ-250001

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टर को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतद्द्वारा ऋणियों / गारन्टरों को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सौदा / व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा / व्यवहार कार्पोरेशन बैंक को देय राशि व सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

शाखा का नाम	ऋणी और जमानती के नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
कार्पोरेशन बैंक, पचपेडा शाखा, किला परीक्षितगढ़ रोड गांव पचपेडा, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)	मैसर्स रितु आभूषण केन्द्र प्रोपराईटर संजय कुमार पता : मकान नम्बर 98, पचपेडा, मेरठ - 250406 (उत्तर प्रदेश)	सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अंतर्गत सम्पत्ति एक मकान है जो कि रजिस्टर्ड गिरवी क्षेत्रफल 70 वर्ग गज में है। यह सम्पत्ति गांव परपेरा, निकट कार्पोरेशन बैंक, परपेरा शाखा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्पत्ति की सीमायें :- पूरब - श्री राजेश का मकान, पश्चिम - श्री राकेश का मकान, उत्तर - श्री बुन्दु का मकान, दक्षिण - रोड। सम्बन्धित सम्पत्ति के स्वामी श्री संजय पुत्र श्री धारा सरन निवासी गांव परपेरा, मेरठ हैं।	19.01.2019	17.10.2018	रु. 6,39,715.00 तथा ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक : 22.01.2019 **स्थान : पचपेडा (मेरठ)** **प्राधिकृत अधिकारी**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**
(A Govt. of India Undertaking)
समालका शाखा, माता मिश्री देवी भवन, पालम गुडगाँव रोड, समालका, नई दिल्ली–110037 फोन न. +91 11 25064376, 25063043
ईमेल – cbssamalka@unionbankofindia.com

[नियम 8 (6) का प्रावधान देखे]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
बैंक के हाइपोथेकेशन एवं जब्तीकरण नियमावली के अंतर्गत चल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास नीचे वर्णित हाइपोथेकेटेड चल सम्पत्ति जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, समलखा शाखा, नई दिल्ली (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, समलखा शाखा, नई दिल्ली (प्रतिभूत क्रेडीटर) के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये 21.2.2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण यहां नीचे दिया गया हैः

1.	अचल संपत्ति का विवरण जो नीलामी के लिए रखी गयी है	अचल संपत्ति पर आधारित निर्मित आवासीय फ्लैट 106.00 वर्ग गज (सुपर बिल्ट अप क्षेत्र), साधारण सीढ़ी के साथ दूसरी मंजिल पर 858.00 वर्ग फुट का स्वीकार्य क्षेत्र और भूतल पर एक स्कूटर पार्किंग जो सी–199/200, दूसरी मंजिल , जीवन पार्क, सोम बाजार, नई दिल्ली –110057 में स्थित, **श्री संजय कुमार गोयल** के नाम से आयोजित और चौहद्दी निम्नानुसार : **उत्तर में** : संपत्ति संख्या सी–201, **दक्षिण में** : संपत्ति संख्या. सी –199/200, **पूर्व में** : संपत्ति संख्या सी–200, **पश्चिम में** : सड़क (18' चौड़ी)
2.	उधारकर्ता/बन्धककर्ता का नाम	**मेसर्स परफेक्ट कैन्स कंपनी**, 76, रनहोला नांगलोई, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110041 और **श्री संजय कुमार गोयल**, सी–199/200, दूसरा तल, जीवन पार्क, सोम बाजार, नई दिल्ली–110057 एवं **श्री वसीमून नबी खान**, डी 2 ए /2 सी जनकपुरी, नई दिल्ली–110058.
3.	नीलामी की तिथि एवं समय	**21.02.2019 को 11 पूर्वाः से 01.00 अप. के बीच**, '5' मिनट का असीमित विस्तार के साथ यानि ई–नीलामी के बंद होने के समय को प्रत्येक बार 5 मिनट हेतु विस्तारित कर दिया जाएगा यदि बोली नीलामी के बंद होने से पूर्व अंतिम 5 मिनट में दी जाती है
4.	सुरक्षित मूल्य	**रु 32,50,000.00 (रूपए बत्तीस लाख पचास हजार मात्र)**
5.	धरोहर राशि (ईएमडी)	**रु 3,25,000/– (रूपए तीन लाख पचीस हजार मात्र)**
6.	बिड जमा करने की अंतिम तिथि	**19–02–2019 (मंगलवार) तक या उससे पूर्व सायं 05.00 बजे तक**
7.	बोली वृद्धि राशि	**रु 25,000/– (रूपए पच्चीस हज़ार मात्र)**
8.	ब्याज एवं लागत सहित बकाया ऋण	**दिनांक 31.08.2017 को रु 23,46,000.00 (रूपए तेईस लाख छियालीस हज़ार मात्र) तथा उस पर आगे का ब्याज संविदात्मक दर से एवं लागत 01/09/2017 से**
9.	इच्छुक खरीददारों के लिए संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	16–02–2019 11:00 पूर्वाः से 04:00 अप. के बीच
10.	बैंक की जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर ऋणभारः बैंक को कोई जानकारी	ज्ञात नहीं

ई नीलामी एजेंटः मैसर्स 4 क्लोज़र, हेल्प लाइन नंबर 08142000062/66 (मो.) दूरभाषः 040–23836405, श्री विकास – 8142000809 ई–मेलः info@bankauctions.in

इसे उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि को ई–नीलामी के बिक्री के आयोजन के बारे में निम्न कथित ऋण के कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम , 2002 की धारा 8 (6) एवं नियम 9 (1) के अंतर्गत सूचना के रूप में भी समझा जायेगा।

स्थान : नई दिल्ली, — तिथि : 21.01.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया